-प्रेस नोट-

दिनांक- 10.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा 04 शातिर गौकश अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व कब्जे से 02 छुरी, 02 रस्सी, 01 लकडी का गुटका व 01 जिन्दा गाय बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी, लूट, नकबजनी, गौकशी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार गस्त व चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्दीप बालियान थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.11.2026 को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गश्त व चैकिंग के दौरान 04 अभियुक्तगण ***1.सरफराज पुत्र अनीस 2.जिशान उर्फ बरीकी पुत्र अनीस 3.इमरान पुत्र अनीस 4.महताब पुत्र अनीस निवासीगण ग्राम सांपला खत्री थाना देवबन्द जिला सहारनपुर*** *को मिरगपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 02 छुरी, 02 रस्सी, 01 लकडी का गुटका 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 जिन्दा गाय बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना देवबंद पर मु0अ0सं0-761/26 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. *सरफराज पुत्र अनीस निवासी ग्राम सांपला खत्री थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।*
2. *जिशान उर्फ बरीकी पुत्र अनीस निवासी ग्राम सांपला खत्री थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।*
3. *इमरान पुत्र अनीस निवासी ग्राम सांपला खत्री थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।*
4. *महताब पुत्र अनीस निवासी ग्राम सांपला खत्री थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।*

बरामदगी का विवरणः-

- *01 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर*
- *02 छुरी, 02 रस्सी, 01 लकडी का गुटका*
- *01 जिन्दा गाय*

अभि0 सरफराज का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0- 465/23 धारा 307 भादवि 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 3/11 पशु क्रूरता अधि0 3/25/27 शस्त्र अधि0 थाना देवबन्द सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0- 665/23 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना देवबन्द सहारनपुर।*

अभि0 जीशान का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0- 925/18 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना देवबन्द सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0- 253/20 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना देवबन्द सहारनपुर।*
3. *मु0अ0सं0- 438/21 धारा 174 ए भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर।*

अभि0 इमरान का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0- 925/18 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना देवबन्द सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0- 307/19 धारा 174 ए भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री सन्दीप बालियान थाना देवबन्द सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 बन्टी सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर।*
3. *उ0नि0 आनन्द कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।*
4. *उ0नि0 कृष्ण कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।*
5. *है0का0 934 संजीव कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।*
6. *है0का0 314 योगेश कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।*
7. *का0 2208 रोहित कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।*
8. *का0 2226 अमित कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।*
9. *का0 2096 गोरव कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।*
10. *रि0का0 264 सचिन कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।*
11. *रि0का0 726 शिफत खान थाना देवबन्द सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक- 10.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा अवैध पशु कटान करते 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर 02 मृत कटड़े/भैंसे के अवशेष व पशु कटान के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध पशु कटान की रोकथाम व अवैध रूप से मांस के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मण्डी श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.11.2026 को पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान ***अवैध रूप से पशु कटान करते 03 शातिर अभियुक्तगण 1. तंजीम पुत्र इमरान निवासी मौहल्ला लुहानी सराय थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर 2. मौ0 रफी उर्फ मानू पुत्र दिलशाद निवासी अमीना बाग कालोनी जाटो वाला मोहल्ला मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर 3. तारीख पुत्र नौशाद निवासी ढोली खाल थाना कुतुबशेर हाल पुता बुढ्ढी माई चौक जमुनादास वाली गली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*** *को मुखबिर की सूचना पर चौब फरोशान में बने घेर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर* ***02 मृत कटड़े/भैंसे के कटे हुए अवशेष व कटान के उपकरण (01 कुल्हाडी, 01 रेती गोल, 03 रस्सी के टुकड़े रंग बिरंगे, 02 मोहरा रस्सी व 02 छुरी नाजायज*** *बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर* ***मु0अ0सं0 564/2026 धारा 271/272/352/109(1) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट व धारा 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम*** *पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ विवरण *–*

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि यह घेर हमने पशु पालने के लिए किराये पर लिया हुआ है चूंकि चारो तरफ मकान से घिरे होने के कारण किसी को भी यह पता नही चलता है कि अंदर क्या हो रहा है ज्यादा लाभ पाने के लालच में बिना अनुमति बेचने के उद्देश्य से 02 क़टडे हम चारो ने मिलकर काट दिये थे और इनके मीट को हम बेच दिया करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. *तंजीम पुत्र इमरान निवासी मौहल्ला लुहानी सराय थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
2. *मौ0 रफी उर्फ मानू पुत्र दिलशाद निवासी अमीना बाग कालोनी जाटो वाला मोहल्ला मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
3. *तारीख पुत्र नौशाद निवासी ढोली खाल थाना कुतुबशेर हाल पुता बुढ्ढी माई चौक जमुनादास वाली गली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*

बरामदगी का विवरण –

- *02 मृत कटड़े/भैंसे के कटे हुए अवशेष (करीब 01 कुन्टल)*
- *पशु कटान के उपकरणः- (01 कुल्हाडी, 01 रेती गोल, 03 रस्सी के टुकड़े व 02 मोहरा रस्सी)*
- *02 नाजायज छुरी*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।*
3. *उ0नि0 श्री पंकज मिश्रा थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।*
4. *उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।*
5. *का0 2308 प्रवीण कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।*
6. *का0 2436 सरताज थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।*
7. *का0 1222 बलवेन्द्र थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक –10.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा गैर जमानती वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.11.2026 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त ***दानिश पुत्र मुल्ला खुर्शीद निवासी मौ0 महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर*** *(सम्बन्धित वाद सं0 4066/25 धारा 6 द0अधि0) को उसके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दानिश पुत्र मुल्ला खुर्शीद निवासी मौ0 महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. *उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।*
2. *का0 1902 दलवीर थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांकः 10.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा द्वारा शांति एवं कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका के दृष्टिगत 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत चालानी कार्रवाई की गई

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु कानून एवं शान्ति व्यवस्ता बनाएं रखने के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग एवं गस्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.11.2026 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व गस्त के दौरान मण्डी समीति रोड पर ठेके के सामने दो व्यक्ति आपस में आमदा फसाद हो रहे थे कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग होने की आशंका के दृष्टिगत ***अभियुक्तगण 1. राहुल कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी वर्धमान कालोनी वालेश्वरमन्दिर के पास चिल्काना रोड थाना मण्डी जनपद सहारनपुर 2. जितेन्द्र सिंह पुत्र तिलकराज सिंह निवासी बाबालालदास रोड ब्रह्मपुरी कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*** *को मण्डी समिति रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 126/135/170 बीएनएसएस के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. राहुल कुमार पुत्र रमेश कुमार नि0 वर्धमान कालोनी वालेश्वरमन्दिर के पास चिल्काना रोड थाना मण्डी सहारनपुर।

2. जितेन्द्र सिंह पुत्र तिलकराज सिंह नि0 बाबालालदास रोड ब्रह्मपुरी कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

2. उ0नि0 श्री विपिन शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

3. है0का0 235 विनित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

4. का0 2358 तरूण कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 10.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एव वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बडगांव श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.11.2026 को थाना बडगांव पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त ***फरमान पुत्र मुंशी निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर*** *सम्बन्धित वाद संख्या 285/26, मु0अ0सं0 56/2025 धारा 191(2)/190/352/351(3)115(2)/110 बीएनएस चालानी थाना बडगांव (मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट देवबन्द सहारनपुर) को ग्राम नूनाबड़ी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हेतु समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

फरमान पुत्र मुंशी निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

2- उ0नि0 मौ0 कामिल थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

3- हे0कां0 1202 उमरेश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 10.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा द्वारा शांति एवं कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका के दृष्टिगत 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत चालानी कार्रवाई की गई

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु कानून एवं शान्ति व्यवस्ता बनाएं रखने के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग एवं गस्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री विरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.11.2026 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व गस्त के दौरान कोखो के पास खाताखेडी पहुँचे तो कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग होने की आशंका के दृष्टिगत ***अभियुक्त शाहबाज पुत्र कय्यूम उर्फ कम्मू निवासी कोखों के पास खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*** *को कोखो के पास खाताखेडी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 126/135/170 बीएनएसएस के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाहबाज पुत्र कय्यूम उर्फ कम्मू निवासी कोखों के पास खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 कृष्णपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. है0 का0 424 गौरव त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांकः **10.11.2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली बेहट पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री इन्द्रेश चौहान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 वारंटी अभियुक्त ***बवली उर्फ परवीश पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम रसूलपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर*** *(संम्बन्धित वाद संख्या 999/26 धारा 4/25 आर्मस एक्ट चालानी थाना बेहट सहारनपुर) को ग्राम रसूलपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

बवली उर्फ परवीश पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम रसूलपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना बेहट सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 कां0 71 ब्रजवीर राणा थाना बेहट सहारनपुर।*